

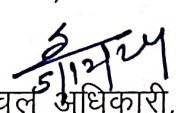
आदेश-पत्रक

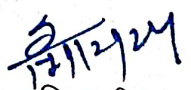
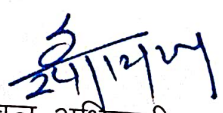
(देखें अभिलेख हस्तक १९४१ से नियम १२९)

आदेश पत्रक सं० से तक

..... सं० **11 / 2024-25**..... सन् 2024-25

केस का प्रकार:-**विविधवाद**

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहि
05/12/2024	प्रस्तुत अभिलेख संख्या-11/2024-25 का संधारण आवेदक रामकुमार सिंह, पिता-स्व० शिवनंदन सिंह, ग्राम-सोनिया, पो०-ईटखोरी, चतरा, आवेदक सन्नी कुमार सिंह, पिता-शंकर सिंह ग्राम-ईटखोरी एवं अजीत कुमार सिंह पिता-परशुराम सिंह ग्राम कोनी के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र जो अंचल ईटखोरी, मौजा-झखरा, थाना न०-31, खाता न०-23, प्लॉट न०-402 रकवा-39 डी० मधे रकवा-19 डी० एवं 20 डी० कुल-39 डी० भूमि का स्व० बक्स मियाँ पिता-स्व० सदी मियाँ के नाम पर गलत तरीके से रसीद कटवाया गया है। उसमें खाता न०-09 एवं प्लॉट न०-402 किया गया है। जबकि खाता न०-9 में 402 कोई प्लॉट नहीं है। नजरूल मियाँ पिता-करीम मियाँ, मो० युसुफ पिता-इलाही मियाँ ग्राम-सिलाड़ द्वारा गलत तरीके से हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। आवेदकों द्वारा स्व० बक्स मियाँ पिता-स्व० सदी मियाँ के नाम पर गलत तरीके से काटे गये रसीद को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक-<u>17/12/2024</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
17/12/24	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक, ईटखोरी द्वारा राजस्व जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित है कि:- ➤ ऑनलाईन सर्वे खतियान के अनुसार- मौजा-झखरा के थाना न०-31 के अन्तर्गत खाता संख्या-23 प्लॉट संख्या-402 रकवा-0.39 ए० भूमि भैरो लाल वल्द पतिलाल, जाति कायस्त, निवासी -साकिन एरकी बा० बक्स मियाँ दर रैयत खाता न०-9 दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। ➤ ऑनलाईन पंजी II के अनुसार:- मौजा-झखरा के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-41/5 पर खाता संख्या-23 प्लॉट न०-402 रकवा-19.5 डी० भूमि सुजन्ती देवी, पति-रामकुमार सिंह के नाम जमाबन्दी दर्ज है, जिसका दाखिल-खारिज केस न०-1096/2021-22 दर्ज है एवं ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-39/5 पर खाता संख्या-23 प्लॉट न०-402 रकवा-19.5 डी० भूमि सन्नी कुमार सिंह पिता-शंकर सिंह एवं अजीत कुमार सिंह पिता-परशुराम सिंह के नाम	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे के ब
17/12/24	पर जमाबंदी दर्ज है एवं दा0 खा0 केस न0-1095/2021-22 दर्ज है, परन्तु मौजा-झखरा के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-77/1 पर भी बक्स मियाँ पिता-सुदी मियाँ खाता न0-9 प्लॉट न0-402 रकवा- 0.39 ए0 भूमि जमाबंदी दर्ज है। स्थल जाँच:- स्थल जाँच में पाया गया कि नजरूल मियाँ वगै0 ग्राम-सिलाड़, थाना-ईटखोरी के द्वारा उक्त भूमि पर घर बनाने के लिए पीलर के लिए गडढ़ा किया गया है, जिसपर वर्तमान में रोक लगा दी गई है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को नोटिश कर कागजात की माँग करने एवं जाँचोपरांत निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-24/12/24 को रखें।  अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
24/12/24	अभिलेख उपस्थापित निर्गत नोटिश के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हैं। उभय पक्ष के द्वारा अपने अपने कथन के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की गई। अभिलेख दिनांक-29/1/25 को रखें।  अंचल अधिकारी ईटखोरी।	
29/1/25	अभिलेख उपस्थापित उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हैं। उभय पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करते हुए बहस किया गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि ऑनलाईन सर्वे खतियान के अनुसार- मौजा-झखरा के थाना न0-31 के अन्तर्गत खाता संख्या-23 प्लॉट संख्या-402 रकवा- 0.39 ए0 भूमि भैरो लाल वल्द पतिलाल, जाति कायस्त, निवासी-साकिन एरकी बा0 बक्स मियाँ दर रैयत खाता न0-9 दर्ज है अर्थात् बक्स मियाँ प्रश्नगत खाता 9 के दर रैयत है। उनकी भूमि खाता-23 की है। खाता	

गई कार
न आदेश

आदेश की तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी आदेश सहि

29/11/25

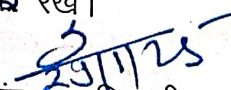
9 में प्लॉट-402 नहीं है, प्लॉट-402 खाता-23 में है। आगे कहना है कि मेरे द्वारा जिला अभिलेखागार, चतरा से पंजी-II मिलान करने पर पता चला कि मौजा-झखरा में भोलुम न0-1 से लेकर पेज-70 तक मौजा झखरा का रैयत का नाम दर्ज है एवं पेज-70 से अंतिम पेज तक मौजा सिलार दर्ज है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये पेज न0-77 में मौजा सिलार के रासबिहारी प्रसाद का नाम दर्ज है। आगे कथन है कि क्षितीय पक्ष के द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर मेरी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में केवाला, Online खतियान की प्रति, Online पंजी-II की प्रति, Online रसीद की प्रति एवं अन्य कागजात समर्पित करते हुए जॉचोपरांत द्वितीय पक्ष की चल रही अवैध जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि सर्वे खतियान के अनुसार-मौजा-झखरा के थाना न0-31 के अन्तर्गत खाता संख्या-23 प्लॉट संख्या-402 रकवा-0.39 ए0 भूमि भैरो लाल वल्द पतिलाल, जाति कायस्त, निवासी-साकिन एरकी बा0 बक्स मियाँ दर रैयत खाता न0-9 दर्ज है। आगे कथन है कि बक्स मियाँ खाता न0-23 के रैयत थे और रैयत हाने के कारण ही मौजा-झखरा के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-77/1 पर भी बक्स मियाँ पिता-सुदी मियाँ खाता न0-9 प्लॉट न0-402 रकवा-0.39 ए0 भूमि जमाबंदी दर्ज है और वर्तमान समय तक रसीद निर्गत है।

द्वितीय पक्ष का आगे कथन है कि आवेदकगण कभी भी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार नहीं रहे हैं। पूर्वजों से प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा रहा है और प्रश्नगत भूमि में लगभग 01 डी0 पर उनका पुराना घर भी बना हुआ है। पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने के क्रम में गडढा किया जा रहा था जिसपर अंचल द्वारा रोक लगा दी गई है।

आगे कथन है कि आवेदकगण के द्वारा उनकी जमीन का फर्जी कागजात बनवाकर उन्हें अपना बताया जा रहा है। आगे कथन है कि जिस भूमि पर आवेदक रामकुमार सिंह के द्वारा दावा किया जा रहा है उस भूमि का उनके पास निबंधित केवाला भी नहीं है बल्कि सादा केवाला है जो फर्जी है। अपने कथन के समर्थन में द्वितीय पक्ष के द्वारा Offline खतियान की प्रति, Online पंजी-II की प्रति, Online रसीद की प्रति एवं अन्य कागजात समर्पित करते हुए आवेदकगण के आवेदन निरस्त करते हुए उनकी Online चल रही जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

पुनः बहस हेतु अभिलेख दिनांक-18/12/25 रखें।


अंचल अधिकारी
ईटखोरी

18/2/25

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष का बहस सुना गया। अभिलेख दिनांक 28/3/25 को रखें।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

28/3/25

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष का बहस सुना गया। अभिलेख दिनांक 24/4/25 को रखें।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

24/4/25

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष का बहस पूर्ण। आदेशार्थ दिनांक 20/5/25 को रखें।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

20/5/25

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष के द्वारा अपने-अपने कथन के समर्थन में किये गये बहस एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऑनलाईन सर्वे खतियान के अनुसार-मौजा-झखरा के थाना न0-31 के अन्तर्गत खाता संख्या-23 प्लॉट संख्या-402 रकवा-0.39 ए0 भूमि भैरो लाल वल्द पतिलाल, जाति कायस्त, निवासी -साकिन एरकी बा0 बक्स मियाँ दर रैयत खाता न0-9 दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि पर क्रमशः सुजन्ती देवी, पति-रामकुमार सिंह के नाम ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-41/5 पर खाता संख्या-23 प्लॉट न0-402 रकवा-19.5 डी0, पृष्ठ संख्या-39/5 पर सन्नी कुमार सिंह पिता-शंकर सिंह एवं अजीत कुमार सिंह पिता-परशुराम सिंह के नाम खाता संख्या-23 प्लॉट न0-402 रकवा-19.5 डी0 भूमि एवं पृष्ठ संख्या-77/1 पर बक्स मियाँ पिता-सुदी मियाँ के नाम खाता न0-9 प्लॉट न0-402 रकवा-0.39 ए0 भूमि जमाबंदी दर्ज है। उभय पक्ष के बीच विवाद प्लॉट न0-402 को लेकर है। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्लॉट न0-402 खाता-23 में है जबकि द्वितीय पक्ष का दावा है कि प्लॉट न0-402 खाता-09 में है। प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित Online खतियान में प्लॉट संख्या-402 दर्ज है जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित Offline खतियान की सत्यापित प्रति में प्लॉट न0-402 खाता-09 में दर्ज है। उभय पक्ष एक दुसरे पर फर्जी कागजातों के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थल जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष में किसी का भी दखल-कब्जा नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रैयती भूमि पर स्वामित्व को लेकर विवाद है जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय में संभव है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष मामले को सक्षम न्यायालय में ले जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।